

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग  
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प0 07(5)राज/वाद/2022


जयपुर दिनांक 06/9/22

:: आदेश ::

प्रशासनिक कारणों से निम्न सारणी के कॉलम संख्या 2 में वर्णित कार्मिकों का उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 4 में वर्णित कार्यालय में स्थानान्तरण/पदस्थापन एतद्वारा तत्काल प्रभाव से किया जाता है:-


क. सं.	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय	नवीन पदस्थापन कार्यालय	विशेष विवरण
1	2	3	4	5
1.	श्री महेन्द्र कुमार साहू, सहायक प्रशासनिक अधिकारी	लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, टोंक	विशिष्ट लोक अभियोजक (पोक्सो), टोंक	सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद पर श्री लक्ष्मण सिंह राजावत के स्थान पर
2.	श्री अजय गौतम, कनिष्ठ सहायक	विशिष्ट लोक अभियोजक (पोक्सो), सं03, कोटा	विशिष्ट लोक अभियोजक (अजा/अजजा), कोटा	सहायक प्रशासनिक अधिकारी के पद के विरुद्ध स्वयं के पाठ्य वेतन पर श्री रोहिताश्व शाक्य के स्थान पर
3.	श्री विनोद सिंह मीणा, कनिष्ठ सहायक	विशिष्ट लोक अभियोजक (पोक्सो), सं04, कोटा	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं05, कोटा	कनिष्ठ सहायक के पद पर श्री दशरत सिंह के स्थान पर
4.	श्री विनीत कुमार, कनिष्ठ सहायक	विशिष्ट लोक अभियोजक (पोक्सो), सं03, अलवर	अपर लोक अभियोजक एवं राजकीय अभिभाषक, सं02, अलवर	कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर
5.	श्री लक्ष्मण सिंह राजावत, कनिष्ठ सहायक	विशिष्ट लोक अभियोजक (पोक्सो), टोंक	अपर लोक अभियोजक, टोंक	कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर
6.	श्री ऋषभ कुमार गोयल, कनिष्ठ सहायक	अपर लोक अभियोजक, करौली	अपर लोक अभियोजक सं0 2, हिण्डीनसिटी, जिला करौली	कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर

उक्त सभी कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे वर्तमान कार्यालय से कार्यमुक्त होकर नवीन पदस्थापन कार्यालय में अविलम्ब कार्यग्रहण कर पालना रिपोर्ट/सूचना इस विभाग को प्रेषित करें।

  
(अनुपमा राजीव बिजलानी)  
शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि/शासन सचिव, विधि/विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण)।
2. संबंधित जिला कलक्टर,.....।
3. संबंधित कोषाधिकारी,.....।
4. संबंधित कार्यालय,.....।
5. सहायक लेखाधिकारी-I, वादकरण।
6. प्रोग्रामर विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित कर्मचारी,.....।
8. रक्षित पत्रावली।

  
(हिमांकन्त मीठ)  
विशिष्ट शासन सचिव